कोरोना से निपटने कोण्डागांव प्रशासन सख्त

- टैक्सी, आटो एवं दो पहिया वाहनो की हो रही है जप्ती
- धारा 144 के उल्लंघन पर 7 दुकानो का किया गया 15 हजार रुपये का चालान
- शाक-सब्जी बेचने एवं आवश्यक वस्तुओं को खरीदने का समय निर्धारित
- हेल्प लाईन नंबर जारी

कोण्डागांव, 25 मार्च (सन्यूस)। जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कलेक्टर नीलकंठ टीकाम के आदेशानुसार प्रशासन की मुस्तैद कार्यवाही आज और तेज हो गई है। इस क्रम में पुलिस, परिवहन, ट्रैफिक, नगरपालिका सहित अन्य विभागो की संयुक्त टीम द्वारा चार आटो वाहन को जप्त कर लिया गया। इसके साथ ही बेवजह घुमंतु बाईक चालको को भी वाहन सहित थाने पर ले जाया गया। इस संबंध में संयुक्त टीम द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि वे युवाओं को अनावश्यक रुप से घर से बाहर निकलने न दे क्योंकि धारा 144 के तहत वाहन जप्ती की कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी गौरव पाटले ने जानकारी दी कि राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में संचालित सभी सार्वजनिक परिवहन यान, टैक्सी, ऑटो और ई-रिक्शा का संचालन तत्काल प्रभाव से आगामी 31 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है।

7 दुकानो पर 15 हजार का जुर्माना

मुख्य नगरपालिका अधिकारी सूरज सिंह सिदार द्वारा कोर कमेटी की बैठक में जानकारी दिया गया कि आज नगर में धारा-144 के उल्लंघन पर 7 दुकानो पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार मेडिकल अपशिष्ट को लापरवाही पूर्वक डिस्पोजल करने पर बंधा तालाब के समीप स्थित नेताम हास्पिटल पर भी 5 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। इस संबंध में नगरपालिका द्वारा लोगो को आवश्यक कार्य के अलावा घर से बाहर न निकलने की सघन मुनादी भी कराई जा रही है। नगर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नगरपालिका के ही द्वारा सभी वार्डों में मैलाथाईन गैस का धुंआ एवं प्रोफेनाफोस एवं बैक्ट्रीनाश का छिड़काव भी किया जा रहा है इससे सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु एवं बैक्टिरिया खत्म हो जाते है साथ ही सार्वजनिक नालियों में भी ब्लीचिंग डालने की कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही नगरपालिका सीमा के अंदर मुख्य बाजार में भी शाक-भाजी खरीदने का समय निर्धारण कर दिया गया है इसके अनुसार प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक ही शाक-सब्जी सहित अन्य आवष्यक वस्तुओं की खरीदी-बिक्री की जा सकेगी।

जिले से बाहर गए 244 व्यक्तियों का हुआ चिकित्सकीय परीक्षण

कोर कमेटी की बैठक में सीईओ जिला पंचायत डी एन कश्यप ने बताया कि जिले के सभी 5 जनपद पंचायतो से कुल 950 व्यक्ति अन्य राज्य में गए हुए थे जिनमें से 294 व्यक्तियों की वापसी हो चुकी है तथा उनमें से 244 कामगारो का मेडिकल चेकअप किया जा चुका है और वे स्वस्थ पाए गए है साथ ही सभी कामगारो को दो हफ्तो तक घर से बाहर न निकलने की हिदायत भी दी गई है और संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव को भी आगाह किया जा चुका है। इसी प्रकार बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.के.कनवर ने बताया गया कि जिला मुख्यालय में आने वाले अब तक 433 लोगो को चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और जिला मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कोरोना हेल्प डेस्क के तहत हेल्प लाईन नंबर 07786-242180 जारी कर दी गई है।

कांकेर जिले में 87 व्यक्तियों को रखा गया है होम आइसोलेशन में

- 13 व्यक्तियों ने पूर्ण किया होम आइसोलेशन

कांकेर, 25 मार्च (सन्यूस)। नोवल कोरोना वायरस के नियंत्रण की समीक्षा के लिए गठित जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक कलेक्टर के.एल. चौहान की अध्यक्षता में आज आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि 87 व्यक्तियों को होम आइसोलेशन में रखा गया है्ए जिनमें से 13 व्यक्तियों ने होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर लिया है तथा वे सभी पूरी तरह स्वस्थ्य हैं। कलेक्टर श्री चौहान ने होम आइसोलेशन में रखे व्यक्तियों एवं उनके परिजनों से आग्रह किया है कि वे होम आइसोलेशन के मार्गदर्शन का कड़ाई से पालन करें तथा निर्धारित अवधि तक होम आइसोलेशन में ही रहें। जिले में धारा-144 लागू होने का उल्लेख करते हुए कलेक्टर ने कहा कि अनावश्यक रूप से बाहर न घूमें, यदि ऐसा पाया जाता है तो, संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि दूसरे देश एवं प्रदेश से आने वाले व्यक्तियों की सूचना तत्काल दी जावे, जानकारी छुपाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। नोवल कोरोना वायरस से बचाव हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में मितानिनों को सक्रिय करने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि दूसरे राज्य से आने वाले व्यक्तियों की सूचना तत्काल विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी को दिया जावे। नोवल कोरोना वायरस से बचाव के लिए जन-जागरूकता हेतु पोस्टर, पाम्पलेट का वितरण करने एवं सार्वजनिक स्थलों में होर्डिंग लगाने के निर्देश भी कलेक्टर द्वारा अधिकारियों को दिये गये हैं।

अव्यवस्थित भीड़ देखकर मेडिकल स्टोर पहुंचे कलेक्टर

कांकेर, 25 मार्च (सन्यूस)। नोवल कोरोना वायरस के नियंत्रण हेतु गठित कोर कमेटी की समीक्ष बैठक पश्चात कलेक्टर के.एल. चौहान जब सिविल सर्जन कार्यालय से बाहर निकल रहे थे, चिकित्सालय के बाहर स्थित मेडिकल स्टोर में अव्यवस्थित भीड़ देखकर वे तत्काल वहॉ पहुंच गये एवं अव्यवस्थित रूप से खड़े हुए लोगों को एक-एक मीटर की दूरी बनाकर खडे रहने की समझाईश दी और मेडिकल दुकान संचालक से मास्क एवं सेनेटाइजर की उपलब्धता की जानकारी ली तथा उसे निर्धारित कीमत में ही बेचने के लिए निर्देशित किया। दुकान संचालक को पर्याप्त मात्रा में दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं कोरोना वायरस से बचाव हेतु जारी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए निर्देषित भी किया गया।

दूसरे शहरों से लौटे श्रमिकों के घरों का होगा आइसोलेशन

- सफाई कर्मियों समेत अन्य जरूरी काम में लगे श्रमिकों का दिन में दो बार होगा टेम्प्रेचर जांच

नारायणपुर, 24 मार्च (सन्यूस)। कलेक्टर पी.एस. एल्मा की अध्यक्षता में आज यहां कलेक्टोरेट में कोरोना रोकथाम एवं नियंत्रण की जिला स्तरीय कोर कमेटी के सदस्यों की बैठक हुई। कलेक्टर ने जिले में दूसरे राज्यों विभिन्न शहरों से लौटे श्रमिकों, कार्मकारो को चिन्हांकित कर उनके घरों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का आईसोलेशन (विशेष निगरानी) में कोविड-19 चस्पा करने कहा। इसके साथ ही ऐसे व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर निश्चित समय तक विशेष निगरानी रखने को कहा। उन्होंने स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यथा संभव सफाई कर्मियों एवं जरूरी कामों में लगे श्रमिकों का दिन में दो बार टेम्परेचर लेने की बात कही। उन्होंने कुछ दिनों के लिए एतिहतन किराना, बेकरी, सब्जी, फल, अनाज आदि दुकानें प्रातः 9 बजे से 5 बजे तक खोलने के निर्देश दिए। श्री एल्मा ने कहा कि अत्यावश्यक सेवा के साथ मेडिकल स्टोर, भोजनालय आदि दुकानों में यह निर्देश लागू नहीं होंगे। राज्य के दूसरे विभिन्न शहरों से आए ऐसे श्रमिकों व्यक्तियों का घर से बाहर नहीं निकलने को कहे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को लगभग 15-20 दिनों तक परिवार से भी दूरी बनाये रखने की बात बतायें। नारायणपुर सहित ग्रामीण इलाकों में विभिन्न माध्यमों के जरिए प्रचार-प्रसार कराया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए।

विकासखंड ओरछा (अबूझमाड़) के अन्दरूनी इलाकों में स्वास्थ्य अमला पूरी तरह सजग और सर्तकता बरत रहा है। स्वास्थ्य अमले के साथ पंच, सरपंच, ग्राम सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन भी दूसरे राज्यों के शहरों में काम से गए ग्रामीणों के वापस लौटने पर उन्हें (आइसोलेशन) में घर पर ही रहने की सलाह दी गई है।

पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग ने कहा कि अधिकारी-कर्मचारियों, सफाई कर्मियों का शिफ्टवॉर पास बनायें, ताकि काम पर आते जाते वक्त उन्हें कोई परेशानी न हो। नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से बिना जरूरी काम के सड़कों पर आने वाले लोगों पर अब पुलिस प्रशासन और सख्त कदम उठाने वाला है।

शौचालय निर्माण के लंबित भुगतान हेतु आवेदन 30 मार्च तक

कांकेर, 25 मार्च (सन्यूस)। मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सदस्य सचिव जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण डॉ. संजय कन्नौजे ने व्यक्तिगत परिवारिक शौचालय निर्माण की समस्त लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान एवं आई.एम.आई.एस. में प्रविष्टि 31 मार्च के पूर्व किया जाना अनिवार्य है। 31 मार्च के पश्चात भारत सरकार द्वारा व्यक्तिगत परिवारिक शौचालय की लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत निर्मित किसी भी शौचालय की प्रोत्साहन राशि यदि नियमानुसार किसी भी ग्राम पंचायत के हितग्राहियों को राशि का भुगतान नही हुआ हो तो वह अपने दावा 30 मार्च तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शाखा जिला पंचायत अथवा वाट्सप नं. 9406420040 पर अविलम्ब सुनिश्चित करें। 30 मार्च तक उपरोक्त संबंध में चाही गई जानकारी प्रस्तुत नही करने की स्थिति में जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कांकेर किसी भी हितग्राही की व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिव की होगी। जिले के सर्व ग्राम पंचायत सचिव एवं हितग्राही को आवश्यक दस्तावेज जैस- आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकापी पूर्णतः प्रमाण पत्र, हितग्राही के साथ शौचालय का फोटो पात्रता के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

राशन कार्डधारियों को मिलेगा एक मुश्त दो माह का खाद्यान्न

कांकेर, 25 मार्च (सन्यूस)। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के उपायों के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्डधारकों को माह अप्रैल एवं मई का चांवल एकमुश्त वितरण करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए खाद्य विभाग द्वारा आबंटन जारी करते हुए अंत्योदय, प्राथमिकता और अन्नपूर्णा श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को माह अप्रैल एवं मई का चांवल, नमक और शक्कर का भी एकमुश्त वितरण माह अप्रैल में करने के निर्देश दिये गये हैं तथा जिले की प्रत्येक उचित मूल्य दुकान हेतु चांवल उत्सव के दिन राशनकार्ड धारियों को 02 महिने का चांवल, नमक एवं शक्कर वितरित करने निर्देशित किया गया है, इसके साथ ही जिले के राशन कार्डधारियों को दो माह का खाद्यान्न एक मुस्त वितरण कराने के संबंध में सूचना हेतु जानकारी अंकित कर उचित मूल्य दुकानों के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने एवं गांव में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराने के निर्देश भी दिये गये है। उचित मूल्य दुकानों से वितरण के समय हितग्राहियों को कतारबद्ध कर कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखने के साथ ही उचित मूल्य दुकान में आने वाले प्रत्येक राषनकार्ड धारक के हाथों की सफाई, सैनिटाईजर अथवा उपयुक्त तरल साबुन से कराने के लिए भी कहा गया है।

जिले के प्रत्येक उचित मूल्य दुकानों में एक सप्ताह से 15 दिनों तक चांवल, नमक एवं शक्कर की बड़ी मात्रा में रखने के लिए ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन या अन्य शासकीय भवन में आवश्यक व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया है एवं नगरीय क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से स्थल चयन कर खाद्यान्न के सुरक्षित भण्डारण की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

कांकेर जिले में पूर्ण लॉक डाउन

कांकेर, 25 मार्च (सन्यूस)। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपात स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के.एल. चौहान ने जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णतया लॉक डाउन (तालाबंदी) करने के आदेश दिए हैं। इस क्रम में जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों पर 31 मार्च की रात्रि 12 बजे तक रोक लगाई गई है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चौहान द्वारा आदेशित किया गया है कि जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं, जिसके परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर जिले के सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। किसी भी माध्यम (सड़क, रेल एवं अन्य माध्यम) से जिले में बाहरी लोगों के आवागमन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। अन्तर जिला बस के परिवहन को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है साथ ही जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले के सीमा से बाहर जाने पर प्रतिबंधित किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगी। जिले के अंतर्गत स्थित ऐसी औद्योगिक इकाईयों जो दवाईयों के उत्पादन एवं निर्माण से संबंधित हैं, उनको इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। ऐसी इकाईयों जो आवश्यक वस्तुओं जैसे-खाद्य एवं खाद्य से संबंधित पदार्थों, डेयरी यूनिटस इत्यादि से संबंधित हैं, उन्हें भी इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चौहान ने जिले के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए हैं। सभी पदाधिकारियों तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे, परन्तु ये मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे।

दिशा की बैठक स्थगित

कांकेर, 25 मार्च (सन्यूस)। लोकसभा क्षेत्र कांकेर के सांसद मोहन मण्डावी की अध्यक्षता में 28 मार्च को 11 बजे जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित होने वाले जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक को नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए आगामी तिथि तक स्थगित कर दिया गया है।

अन्य राज्यों से लौटकर गांवों में आए लोगों के लिए विशेष प्रबंध

सुकमा, 25 मार्च (सन्यूस)। अन्य राज्यों से लौटकर गांवों में आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री चंदन कुमार ने बाहर से लौटकर आने वाले लोगों का स्थानीय ग्रामीणों द्वारा विरोध नहीं करने के साथ ही विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाहर से लौटकर आने वाले ग्रामीण 14 दिनों तक अपने घरों में ही रहेंगे और किसी भी व्यक्ति से मुलाकात नहीं करेंगे और न ही बाहर जाएंगे। वे परिवार के लोगों से भी कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखेंगे। यदि उन्हें बुखार के साथ सुखी खांसी या सांस लेने में तकलीफहो तो तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल जाएंगे। उन्हें बार-बार साबुन से हाथ धोने और खांसी के दौरान रुमाल का उपयोग करने के साथ ही रुमाल को साबुन से धोने के बाद ही उपयोग करने को कहा गया है। बाहर से आने वाले लोगों को मितानिनें द्वारा सलाह दी जाएगी। सलाह देते समय मितानिनों को भी दो मीटर की दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

चौराहों पर की गयी निःशुल्क हैण्डवाश की व्यवस्था

नारायणपुर, 25 मार्च (सन्यूस)। कोरोना वायरस से बचाव के लिए कलेक्टर पी.एस. एल्मा की पहल पर नगरपालिका द्वारा नगर के पांच प्रमुख चौक-बाजारों में आम नागरिकों की सुविधा के लिए निःशुल्क हैण्डवास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पानी की टंकी और साबुन के घोल की व्यवस्था की गयी है।

नगर पालिका नारायणपुर द्वारा पांच प्रमुख स्थानों नगरपालिका के सामने, पाठक चौक, कुम्हारपारा चौक, बखरूपारा चौक और जयस्तभ चौक पर निःशुल्क हैण्डवास की व्यवस्था की गयी है। कलेक्टर ने आम नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे कोरोना वायरस के बचाव के लिए अपने हाथ धोते रहे है। उन्होंने कहा सरकार और जिला प्रशासन कोरोना वायरस से निपटने और उससे बचाव के लिए तैयार है। लोग भी संयम, सजकता और सर्तकता बरतें।

नियम तोड़ने वालो पर होगी कार्रवाई -कलेक्टर

- नारायणपुर जिला में लॉक डाउन

नारायणपुर, 25 मार्च (सन्यूस)। कोरोना वायरस (कोविड-19) के चलते कलेक्टर पी.एस. एल्मा ने नारायणपुर के समस्त सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 31 मार्च 2020 रात्रि 12 बजे तक पूर्णता तालाबंदी (लॉक डाउन) करने के आदेश जारी कर दिए है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। नियम तोड़ने वालों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। घरों में जाकर दूध बांटने वाले दुध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 6.30 बजे से प्रातः 9.30 बजे तक लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे । आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर जिले की सभी सीमाओं को सील किया गया है। किसी भी माध्यम से जिले से बाहरी लोगों के आगमन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। नारायणपुर जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले की सीमा से बाहर जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

जारी आदेश में जिले के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद रखने कहा गया है। इस दौरान सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे। जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, बस, ई-रिक्शा इत्यादि का परिचालन भी बंद रहेंगा। केवल अत्यावश्यक सेवाएं मेडिकल सेवा वाले, अस्पताल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। इसके अलावा निजी वाहन जो इन आदेश के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन में छूट होगी ।

जारी आदेश में कहा गया है कि बिजली विभाग, पानी, सिवरेज, बैंक, एटीएम, बीपीओ, टेलीकम्यूनिकेशन विभाग खुले रहेंगे। प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, डाक विभाग सप्लाई चेन चलेंगी । इसके अलावा फल, सब्जियां, अस्पताल, मेडिकल की दुकानों के साथ पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी ऑयल एजेंसी व इनसे जुड़ें वाहन व गोदाम चालू रहेंगे।